

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) डाल 03-/09

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक जलपथ प्रमण्डल मेदिनीनगर के विरुद्ध मोहम्मद- दंगवार भाया जपला सड़क के पुनर्स्थापन कार्य में हुई अनियमितता संबंधी आरोपों के लिए असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(2) श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के सापेक्ष संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त मामले की जाँच मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड राँची से कराये जाने हेतु विभागीय पत्रांक- 1966 दिनांक 04.03.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसका फलाफल अप्राप्त है।

(3) श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता का दिनांक 23.03.2016 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) डाल 03-/09 5093

राँची, दिनांक - 31-10-16

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड राँची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग झारखण्ड, राँची/उपसचिव, प्रबंधन, (प्रशाखा-1) जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची/श्री राहुल रमण पिता स्व० योगेन्द्र प्रसाद सिंह, सुदना पूर्वी गायत्री मंदिर रोड़, मेदिनीनगर झारखण्ड - 822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव